

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, "ए"-ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

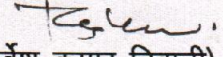
क्रमांक:- एफ.4 (ई)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 13054/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र भंडारी (लिंक नं. 13054) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 (एक्स काडर), श्रीगंगानगर (1000642) जिनकी जन्म तिथि 10.11.1992 हैं, का दिनांक 05.05.2021 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 05.05.2021 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है। वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र भंडारी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

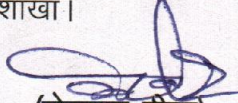

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4 (ई)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 13054/ 553-61 दिनांक :-

31.5.21

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय.....
3. परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 (एक्सकाडर), श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख हैं कि यदि स्व. श्री सुरेन्द्र भंडारी, कनिष्ठ लेखाकार के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती मोनिका रावत पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र भण्डारी, 5/1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैंपस, एन एच 62, सरतगढ रोड, श्रीगंगानगर, राजस्थान 335001 को प्रेषित कर लेख हैं कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0, श्रीगंगानगर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/ए सी आर शाखा।


(लेखराम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक-III)